XIV

प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक दिनांक 13.04.2011 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 14 वीं बैठक दिनांक 13.04.2011 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. श्री दौलत राज नायक – सदस्य राजस्थान विधान सभा
3. श्री सूरजमल मीणा (संभागीय आयुक्त, बीकानेर) – प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
4. प्रो. एल.एन. गुप्ता (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) – सदस्य
5. प्रो. रविन्द्र शर्मा (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) – सदस्य
6. डॉ. एस.एस. टाक (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) – सदस्य
7. डॉ. सुरेश अग्रवाल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्) – सदस्य
8. श्री आर.के. वर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित - सरकारी महाविद्यालय प्राचार्य) – सदस्य
9. डॉ. बिमलेन्दु तायल (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित– निजी महाविद्यालय प्राचार्य) – सदस्य
10. श्री मनीराम (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) – सदस्य
11. श्री एच.आर. इसरान (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष) – सदस्य
12. श्री अरविन्द सिंह शेखावत – सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में सभी सदस्यों का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:–

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/142

<u>प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव:–</u>

प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक दिनांक 06–12–2010 का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 25207–25236 दिनांक 22–12–2010 के द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक दिनांक 06–12–2010 की कार्यवाही विवरण के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/बोम–13/2010/133 के बिन्दु सं. मगंसिविबी/बोम–12/2010/121 में "प्रबन्ध मण्डल ने उक्त अधिनियम महामहिम कुलाधिपति की सहमति दिनांक से प्रभावी होने का निर्णय लिया" को विलोपित करते हुए कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/143

प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की संलग्न पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट के बिन्दु सं. 2 की अनुपालना में इस संशोधन के साथ कि "शोध सम्बन्धी महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय अध्यादेश–124 प्रबन्ध मण्डल द्वारा बनाने की तिथि से प्रभावी हो गया है" पालना प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/144

विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

राज्य सरकार के आदेश प.20(2) शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 28.01.2010 के द्वारा अनुभाग अधिकारी के एक पद को सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक प.03(01)/मगसविबी/संस्था/2010/204–212 दिनांक 06.12.2010 के द्वारा श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री गुलाम रसूल को अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की गई। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचारधीन एस.बी. सिविल रिट पिटिशन क्रमांक 5597/2010 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी। इस आदेश की अनुपालना में श्री मोहम्मद अली ने दिनांक 07.01.2011 को मध्यान्ह पश्चात् अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

निर्णय :– विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी पद पर श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री गुलाम रसूल की नियुक्ति आदेश दिनांक 06–12–2010 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/145

मुख्य परीक्षा–2011 के लिए पंजाब नेशनल बैंक को प्रति परीक्षार्थी 3/– रू. बैंक कमीशन देने सम्बन्धी पत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के विभिन्न महाविद्यालयों में मुख्य परीक्षा – 2011 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र Online भरवाए गए और परीक्षा शुल्क भी पंजाब नेशनल बैंक की विभिन्न शाखाओं के काउन्टर्स पर जमा कराया गया। परीक्षा शुल्क बैंक के माध्यम से जमा होने के कारण सम्पूर्ण परीक्षा/नामांकन शुल्क राशि लगभग 1340 लाख विश्वविद्यालय खाते में एक से दो माह पहले जमा हो गई एवं ब्याज के रूप विश्वविद्यालय को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हुई। पंजाब नेशनल बैंक ने ऑन लाईन परीक्षा आवेदन का Pay Fee Program के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क अपनी शाखाओं में चालान से जमा करने हेतु 5/– रूपये प्रति छात्र बैंक कमीशन का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया। बैंक के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु पत्र क्रमांक 17048–051 दिनांक 21.09.2010 के द्वारा प्रति परीक्षार्थी रू. 3/– बैंक कमीशन के रूप में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 17048–51 दिनांक 21–09–2010 के द्वारा प्रति परीक्षार्थी रूपये 3/– बैंक कमीशन कां भुगतान किये जाने की स्वीकृति पत्र का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/146

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2011 के प्रारूप के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03( )मगंसिविबी/संस्था/2010/28122–29 दिनांक 19.01.2011 के द्वारा विश्वविद्यालय सेवा नियमों का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.02.2011, 25.02.2011 एवं 08.03.2011 को डॉ. विमलेन्दु तायल, अधिष्ठाता–विधि की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्त नियंत्रक एवं कार्यवाहक कुलसचिव के रूप में श्री अरविन्द सिंह शेखावत उपस्थित हुए एवं कुलसचिव महोदय स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर होने के कारण श्री जे.एस. खीचड़, उप कुलसचिव का सहयोग लिया गया।

समिति द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं राजस्थान सेवा नियमों का अवलोकन एवं अध्ययन कर परस्पर विचार–विमर्श किया गया। विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण सेवा नियम यथा Condition of Service etc., Conduct & Discipline Rules, Recruitment & Promotion Rules, Pay & Allowance Rules, House Rent Allowance Rules, Traveling Allowance Rules, Provident Fund Rules, Leave Rules, Medical Attendance Rules etc. के प्रारूप निर्माण में अत्याधिक समय एवं श्रम विनियोजन आवश्यक है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के कारण समिति ने सार्वप्रथम सेवा नियमों में एक पार्ट "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2011" का प्रारूप तैयार किया है। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण एवं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2011 का प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– अल्प समय में भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2011 का प्रारूप तैयार करने के लिए इस बाबत गठित समिति की प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रशंसा की गई। सम्पूर्ण सेवा नियम, ऑर्डिनेन्स, स्टेट्यूटस, लेखा नियम आदि के निर्माण हेतु व्यापक विचार–विमर्श कर प्रबन्ध मण्डल द्वारा किसी विशेषज्ञ फर्म/समूह की सेवायें प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्य का अच्छा अनुभव रखने वाली फर्म का चयन करने एवं फर्म को देय पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें डॉ. एस.एस.टाक, प्रो0 एल.एन. गुप्ता, डॉ. विमलेन्दु तायल को सदस्य एवं कुलसचिव को सदस्य सचिव मनोनीत किया। उक्त समिति द्वारा एक माह में स्टेट्यूटस, ऑर्डिनेन्स आदि का प्रारूप तैयार करने वाली फर्म एवं उसको देय पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा। प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से नियम, परिनियम, आर्डिनेंस, स्टेट्यूटस आदि तैयार करवाने पर होने वाले व्यय के लिए वर्ष 2011–12 के बजट में 03.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही प्रस्तुत प्रारूप तैयार करने हेतु समिति के प्रस्तावानुसार रू. 1,000/– (एक मुश्त) लिपिकीय व्यय एवं 10/–रू. प्रति पृष्ठ टंकण Charges का भुगतान करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–14/2011/147

विश्वविद्यालय में फेज–IV के निर्माण कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 13वीं बैठक के विनिर्णय संख्या मगांसिविबी/बोम–13/ 2010/136 के द्वारा परीक्षा भवन के विस्तार की सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई थी। साथ ही प्रस्तावित भवन की अनुमानित लागत, नक्शे आदि प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त निर्णय की पालना में परीक्षा भवन के विस्तार हेतु कार्यकारी एजेन्सी मैसर्स आर.एस.आर.डी.सी. लि., बीकानेर से प्राप्त अनुमानित लागत एवं नक्शा आदि प्राप्त किये गये। साथ ही उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय का दिनोदिन विकास हो रहा है। विश्वविद्यालय में स्वीकृत पांच शैक्षणिक विभागों का आगामी सत्र से संचालन करने हेतु एक अकादमिक भवन, केन्टिन, पार्किंग शेडस, स्पोटर्स कॉम्पलेक्स, इन्टरनल रोड्स, चार दीवारी आदि निर्माण कार्य कराए जाने भी प्रस्तावित हैं जिनकी अनुमानित लागत एवं नक्शे कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त हो गये है। अतः परीक्षा भवन विस्तार के साथ–साथ फेज–IV के अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्यो की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :–

S.No.	Name of Work	Estimated Cost (In Lacs)
1	Construction of New Examination Block (Cellar)	218.24
2	Construction of New Academic Block	228.71
3	Construction of Canteen	49.52
4	Construction of Parking Sheds (3 Nos.)	5.70
5	Construction of Boundary Wall (for 1.0 Km Length)	27.51
6	Construction of existing Gravel Road (5.50 M vide) upto Bituminous Roads.	51.05
7	Construction of Sports Complex	25.00

उक्त निर्माण कार्यो के लिए वर्ष 2011–12 के बजट में भी आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान रखा गया है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श कर प्रस्तावित निर्माण कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही स्पोटर्स कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए प्रस्तावित लागत 25.00 लाख की राशि को कम मानते हुए 60.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
माननीय सदस्य डॉ. एस.एस.टाक ने सुझाव दिया कि निर्माणाधीन कार्यो की प्रगति रिपोर्ट (व्यय राशि सहित) भी नवीन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने इस सुझाव से सहमति व्यक्त करते हुए कार्यवाही विवरण में प्रगति रिपोर्ट अंकित करने का आश्वासन प्रदान किया। तद्नुसार सूचित किया जाता है कि फेज–III के निर्माण कार्यो Construction Academic Block & Construction of Library पर मार्च, 2011 तक 116.50 लाख व्यय हुए है।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/148

विश्वविद्यालय के वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखों (मय स्ववित्त पोषित योजना) के अंकेक्षित प्रतिवेदन के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2009–10 की सामान्य लेखों एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के लेखों की सीए द्वारा की गई ऑडिट उपरान्त अंकेक्षित प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– सीए. द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित रिपोर्ट के एनेक्सर– I में अंकित ऑडिट के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि :–

(i) विश्वविद्यालय एवं बैंक खातों का आउटसोर्सिंग (विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंधित C.A. के अतिरिक्त) के द्वारा खाता–मिलान (Reconciliation) कराया जाए। सर्वप्रथम वित्त वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के खातों का तीन माह की अवधि में Reconciliation करवाया जावे।

(ii) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों का अद्यतन पर भौतिक सत्यापन करवाया जावे।

मार्च, 2010 के अंत में बकाया अग्रिम राशि पर विचार–विमर्श के दौरान माननीय सदस्य डॉ. एस.एस. टाक ने सुझाव दिया कि समन्वयकों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षात्मक/अन्य कार्यों हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि के पेटे अंतरिम बिल प्राप्त कर समायोजन किये जाने चाहिए ताकि खातों में Outstanding Advance की राशि अधिक प्रदर्शित न हो।

सदन ने उक्त सुझाव से सहमति प्रकट की तथा अध्यक्ष महोदय ने आगामी वर्ष में इसे कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया।

उपरोक्त निर्णयों एवं सुझावों के साथ अंकेक्षित प्रतिवेदनों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/149

विश्वविद्यालय के वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय का सामान्य तथा स्ववित्तपोषी योजना का बजट अनुमान वर्ष 2011–12 एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2010–11 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमान एवं वित्त वर्ष 2011–12 के बजट अनुमान का अवलोकन एवं विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित संशोधनों के साथ बजट पारित किया गया :–

1. विश्वविद्यालय के द्वारा कराई गई विभिन्न एफ.डी.आर. की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विनियोजन किया जावे।
2. Non-Recurring Expenditure के बिन्दु संख्या 1 में बुक्स एवं जनरल्स हेतु 5.00 लाख रूपये एवं विश्वविद्यालय में स्टेट्यूटस/आर्डिनेंस/नियम/परिनियम आदि तैयार करवाने हेतु पृथक से 03.00 रूपये का प्रावधान किया।
3. Non-Recurring Expenditure के बिन्दु संख्या 03 में मशीनरी एवं उपकरणों हेतु 15.00 लाख रूपये के स्थान पर 30.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया।

4. माननीय सदस्य डॉ एस.एस. टाक ने Capital expenditutre में 31 मार्च, 2011 तक की व्यय राशि अंकित करने का सुझाव दिया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

Phase I	550 Lacs
Phase II	175 Lacs
Phase III	116.50 Lacs (Work in Progress)
Phase IV	Proposed

5. बजट प्रस्तावों में आय एवं व्यय का मदवार एवं विभागावार ब्यौरा अंकित किया जावें। अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि गत वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान प्राप्त सुझावों के अनुसार प्रस्तुत बजट में अनेक लघु मदों Sub heads) का समावेश किया गया है तथापि आगामी वर्ष में व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक अन्य मदों का समावेश करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/150

<u>विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 के अनुमोदन का प्रस्ताव</u> :–

वर्ष 2010–11 में विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा वर्ष 2010–11 में विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी कार्यकलापों के सम्बन्ध में तैयार वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन कर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। सदस्यों की ओर से संगठन में सबसे पहले कुलाधिपति अंकित करते हुए अधिष्ठाताओं को कुलसचिव वाली लाईन में अंकित करने, परीक्षा 2010–2011 में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों की संकायवार संख्या अंकित करने, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों को पहले प्रदर्शित करने, खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को सम्मानित करने का विवरण अंकित करने, महाविद्यालयों द्वारा आयोजित सेमीनार का विवरण अंकित करने, कतिपय सदस्यों के नाम/दूरभाष/पते में लिपिकीय त्रुटियों को ठीक करने के सुझाव प्राप्त हुए जिसे सदन द्वारा स्वीकार करते हुए तद्नुसार संशोधन सहित वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा संशोधित एवं अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति माननीय सदस्यों को पृथक से प्रेषित की जाएगी।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/151

<u>समन्वयक डॉ. (श्रीमती) करूणा पाण्डे, जयपुर द्वारा एम.फिल. परीक्षा वर्ष 2009 में परीक्षकों को निर्धारित दर से अधिक किये गए भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव</u> :–

प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक दिनांक 06.12.2010 में प्रस्तुत एजेण्डा संख्या मगंसिविबी/बोम–13/2010/141(i) के क्रम में निवेदन है कि परीक्षा वर्ष 2009 में उत्तरपुस्तिकाओं एवं लघुशोध का परीक्षण करवाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे को जयपुर में समन्वयक नियुक्त किया गया था। श्रीमती पाण्डे को उक्त कार्य करवाने हेतु 12.00 लाख रू. की राशि अग्रिम स्वीकृत की गई थी। समन्वयक द्वारा अग्रिम राशि का हिसाब प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि एम.फिल. की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर 15/– रू. प्रति उत्तरपुस्तिका के स्थान पर 30/– रू. प्रति उत्तरपुस्तिका एवं लघु शोध प्रबन्ध की जाँच हेतु निर्धारित दर 200/– रू. प्रति लघु शोध के स्थान पर 400/– प्रति लघु शोध की दर से परीक्षकों को भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे द्वारा परीक्षकों को कुल 2,33964/– का अधिक भुगतान कर दिया गया।

विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 12.01.10 के द्वारा श्रीमती करूणा पाण्डे को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए परीक्षकों को किये गये अधिक भुगतान की वसूली कर परीक्षकवार विवरण सहित राशि विश्वविद्यालय में भिजवाने हेतु लिखा ताकि समायोजन/ भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो सके।

डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे ने अवगत कराया कि एम.फिल की उत्तरपुस्तिकाओं व लघुशोध प्रबन्ध के मूल्याकंन बाबत परीक्षकों को प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय (यथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर) की दर से भुगतान किया गया है ऐसा तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. पी.आर. ओझा से दूरभाष पर निदेश प्राप्त होने पर किया गया।

श्रीमती करूणा पाण्डे द्वारा प्रेषित प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के पारिश्रमिक बिलों के अनुसार एम.फिल. उत्तरपुस्तिका/लघु शोध प्रबन्ध की जाँच की दरों का तुलनात्मक ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	विश्वविद्यालय का नाम	उ.पु.मू.दर प्रति उ.पु.	न्यूनतम देय राशि	लघुशोध जाँच	न्यूनतम देय
1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	30	300	400	
2.	म.द.स.विश्वविद्यालस, अजमेर	30	300	400	
3.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	30	300	400	
4.	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	15	300	200	600

इस क्रम में डॉ. ओझा से टिप्पणी प्राप्त करने पर उनके पत्र दिनांक 04–03–2010 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि समन्वयक जयपुर द्वारा उन्हे दूरभाष पर सूचित किया कि विश्वविद्यालय के बिल फार्म पर एम.फिल. उत्तरपुस्तिका मूल्याकंन हेतु पारिश्रमिक दर 10/– एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं हेतु 15/– छपा हुआ है। इसके साथ यह भी बताया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों की एम.फिल. की पारिश्रमिक दरें इस राशि से काफी अधिक होने के कारण परीक्षक उत्तरपुस्तिकाएं जाँचने में रूचि नही ले रहे हैं। अतः समन्वयक को निर्देशित किया गया कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा देय पारिश्रमिक दरें आदि प्रेषित करे ताकि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुशंषा कर दरें बढाने की अनुशंषा की जा सकें तथा यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा जांच कार्य में यथा सम्भव किसी प्रकार का व्यवधान मूल्याकंन दरों के कारण नही आना चाहिए। इस प्रकार

डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे द्वारा उत्तपुस्तिकाओं की जाँच करवा ली गई। डॉ. ओझा ने अपने पत्र में "पारिश्रमिक दरों में संशोधन कर अन्य विश्वविद्यालयों के समान भुगतान किया जाना न्यायोचित है तथा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जयपुर समन्वयक को उपरोक्त दरों से भुगतान करने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने एवं गत भुगतान को नियमित करने की पुरजोर अनुशंषा की है"

डॉ. श्रीमती करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर द्वारा परीक्षकों को किये गये अधिक भुगतान 2,33964/– रू. का प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की 11 वीं बैठक दिनांक 23.04.10 में प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की अनुपालना में पुनः विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 453–54 दिनांक 11.06.2010 के द्वारा डॉ. (श्रीमती) करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर को अधिक भुगतान की सम्बन्धित परीक्षकों से वसूली कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराने हेतु लिखा गया तथा प्रतिलिपि तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. पी.आर. ओझा को प्रेषित करते हुए इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।

तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. पी.आर. ओझा ने अपने स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 24.07.2010 के द्वारा अवगत कराया कि पूर्व कुलपति महोदय के मौखिक निर्देशानुसार डॉ. करूणा पाण्डे को एम.फिल. परीक्षा 2009 की उत्तर पुस्तिकाओं एवं लघुशोध प्रबन्ध का मूल्यांकन कार्य

शीघ्र सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा दरों के कारण (अन्य विश्वविद्यालय द्वारा देय पारिश्रमिक दरों के समान) मूल्यांकन कार्य को विलम्बित नहीं किया जाए।

डॉ.(श्रीमती) करूणा पाण्डे के अनुसार परीक्षा वर्ष 2009 के उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परीक्षकों को तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के निर्देशानुसार ही पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2010 में एम.फिल. की उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचने तथा लघुशोध के मूल्यांकन कार्य के लिए अन्य विश्वविद्यालयो के समान ही पारिश्रमिक दरों में वृद्धि की जा चुकी है। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के निर्देशानुसार उक्त समन्वयक द्वारा परीक्षकों को निर्धारित दरों से अधिक किए गए भुगतान की राशि 2,33,964/– रूपये को नियमित करने के लिए वस्तुस्थिति प्रबन्ध मण्डल की 13 वीं बैठक दिनांक 06.12.10 में पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया था।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव को स्थगित (defer) करने से पूर्व हुए विचार–विमर्श के दौरान माननीय सदस्यों ने डॉ. (श्रीमती) करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर के द्वारा परीक्षा 2009 के लिए एम.फिल. की उत्तर पुस्तिकाओं तथा लघु शोध के मूल्यांकन कार्य के लिए परीक्षकों को जिन दरों से भुगतान किया है, उन्हीं दरों पर शेष परीक्षकों को भुगतान करने पर विश्वविद्यालय पर पडने वाले अतिरिक्त भार के सम्बन्ध में जानना चाहा। उन्हीं दरों पर शेष परीक्षकों को भुगतान करने पर विश्वविद्यालय को लगभग 1,50,000/– रूपये (एक लाख पचास हजार रू. मात्र) का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। वस्तुस्थिति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर श्रीमती करूणा पाण्डे एवं तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. पी.आर. ओझा से प्राप्त पत्रों पर विचार–विमर्श कर श्रीमती करूणा पाण्डे, समन्वयक, जयपुर द्वारा (तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के निर्देशानुसार) एम.फिल. परीक्षा 2009 की उत्तरपुस्तिकाओं/लघु शोध जांच परीक्षकों को अन्य विश्वविद्यालयों में निर्धारित दरों के आधार पर किये भुगतान को नियमित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तत्कालीन कुलपति महोदय की स्वीकृति के बिना अधिक दर से भुगतान करने हेतु समन्वयक श्रीमती करूणा पाण्डे को निर्देश प्रदान करने के कारण अधिक भुगतान के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा डॉ. पी.आर. ओझा, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक का दायित्व निर्धारण करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम सं. : मगांसिविबी/बोम–14/2011/152

विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय टेलीफोन/ मोबाइल के बिलों के भुगतान का प्रस्ताव :–

इस विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात् से ही विश्वविद्यालय के परीक्षात्मक, शैक्षणिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार आवासीय टेलीफोन तथा मोबाईल बिलों के भुगतान/पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की जा रही है :–

क्र. सं.	पदनाम एवं वेतन श्रृंखला	आवासीय टेलीफोन	मोबाईल बिल पुनर्भरण राशि (प्रतिमाह)
1	कुलपति 75000 (स्थिर) + 5000 वि. भ.	वास्तविक व्यय राशि	वास्तविक व्यय राशि
2	कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त	वास्तविक व्यय राशि	1,000/– रूपये प्रतिमाह
3	वित्त नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त	वास्तविक व्यय राशि	1,000/– रूपये प्रतिमाह
4	परीक्षा नियंत्रक 15600–39100+7600	वास्तविक व्यय राशि	550/– रूपये प्रतिमाह

5	उप कुलसचिव 15600–39100+6600	वास्तविक व्यय राशि	550/– रूपये प्रतिमाह
6	सहा. कुलसचिव 15600–39100+5400	–	500/– रूपये प्रतिमाह
7	निजी सचिव, कुलपति 15600–39100+5400	–	500/– रूपये प्रतिमाह
8	सहा. लेखाधिकारी 9300–34800+4200	–	500/– रूपये प्रतिमाह
9	निजी सहायक 9300–34800+3600	–	550/– रूपये प्रतिमाह
10	अनुभाग अधिकारी (गोपनीय) 9300–34800+4200	–	500/– रूपये प्रतिमाह
11	अन्य समस्त अनु. अधिकारी 9300–34800+4200	–	300/– रूपये प्रतिमाह

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों को कार्यालय आदेश क्रमांक 38792 दिनांक 21–10–2010 के द्वारा आवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाइल+इन्टरनेट+ब्राडबैण्ड) की एक मुश्त वित्तीय सीमा तक निर्धारित शर्तो के अध्यधीन पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई है (छायाप्रति संलग्न)। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम 2003 की धारा 48 के अनुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियम/परिनियम/आदेश सुसंगत सीमा तक इस विश्वविद्यालय में भी लागू होने के परिणामस्वरूप इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों (क्र.सं. 1 से 6 तक) को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आदेश दिनांक 21–10–2010 के अनुसार टेलीफोन सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में स्टॉफ की अत्याधिक कमी, विस्तृत कार्य क्षेत्र एवं कार्य की प्रकृति/अधिकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त क्र.सं. 7 से 11 तक के कर्मचारियों को प्रदत्त मोबाईल बिल, पुर्नभरण की सुविधा के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा पूर्व में प्रदत्त आवासीय टेलीफोन/मोबाईल के भुगतान/पुनर्भरण की स्वीकृति के आदेशों का अनुमोदन किया गया। साथ ही सहा. कुलसचिवों को आवासीय फोन पर वास्तविक व्यय अथवा 500/– रू. (जो भी कम हो) प्रति माह के पुर्नभरण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/153

परीक्षा–2011 के परीक्षात्मक कार्यो के लिए पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान का प्रस्ताव :–

परीक्षा–2011 के परीक्षात्मक कार्य एवं अन्य समयबद्ध कार्यो को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न कराने हेतु मानदेय/पारिश्रमिक/ओ.टी.ए. के सम्बन्ध में अनुसंशा प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 21773–781 दिनांक 16.11.2010 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण एवं मानदेय/पारिश्रमिक/ओ.टी.ए. के लिए प्रस्तावित दरों के अनुसार कार्यालय आदेश का प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरांत माननीय सदस्यों द्वारा निम्न संशोधन/सुझाव प्राप्त हुए :–

1. Exam Conduct Section के बिन्दु संख्या 10 में LL.M. Part-I & II में अंकित दर 2.25 रू. की जगह 5.25 रू. संशोधित की जावे।
2. Account Section में परीक्षकों एवं परीक्षा केन्द्रों के बिलों की जाँच के लिए नियोजित कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जावे।
3. Secrecy Section के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में नियोजित कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जावे।
4. Secrecy Section के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित मानदेय को अस्वीकृत किया गया।
5. Dispatch of Query letter में केवल परीक्षा एवं नामांकन की queries को ही सम्मिलित किया जावे।
6. Academic Section में 07 day's basic pay for each meeting के स्थान पर एक मुश्त 15 दिवस के मूल वेतन के समान मानदेय स्वीकृत किया जावे तथा बैठकों की तैयारी, पत्राचार एवं आयोजन हेतु प्रत्यक्ष रूप में नियोजित कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जावे।
7. Officers/Supervisory staff of Exam/Account/Academic Section के बिन्दु संख्या 02 में मानदेय स्वीकृति हेतु on the basis of his performance के स्थान पर on the basis of specified additional work assigned to them provided such work is not included in above items अंकित किया जावे

विचार विमर्श के दौरान सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 30(6)उ.शि.–5/2010 दिनांक 23.02.11 के द्वारा विश्वविद्यालय में मानदेय की परिपाटी बन्द करने के दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों ने मत व्यक्त किया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक स्टाफ की अत्यधिक कमी है तथा सुगम व समयबद्ध कार्य संचालन हेतु कार्यालय समय से पूर्व/पश्चात् कार्य निष्पादन अत्यावश्यक है। तद्नुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में पर्याप्त अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तक मानदेय के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

उपरोक्त संशोधनों सहित परीक्षा वर्ष 2011 के लिए पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। संशोधित आदेश की प्रति संलग्न है।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/154

विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों के रूप में भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

इस विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात् से ही विश्वविद्यालय में सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीबद्ध संस्था "भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति, बीकानेर" से भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा कर्मियों के रूप में सेवाएं ली जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालय भवनों व कुलपति आवासीय भवन की सुरक्षा के लिए 23 सुरक्षा कर्मियों की स्थिर पारिश्रमिक पर सेवाएं ली जा रही है। विश्वविद्यालय भवनों की सुरक्षा के लिए "भूतपूर्व सैनिक कल्याण सहकारी समिति" से 25 सुरक्षा कर्मियों की सेवाऐं यथावत् लेने तथा विशेष परिस्थितियों में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से 10 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं लेने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय की सम्पति की सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों की सेवा प्राप्त करने के पूर्व के आदेशों का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्णय लिया कि आवश्यकतानुसार 23 सुरक्षा कर्मियों तक की सेवाएँ निरन्तर जारी रखी जावे तथा विशेष परिस्थितियों में कुलपति महोदय की स्वीकृति से यह संख्या 10 तक बढ़ाई जा सकती है।

एजेण्डा आईटम सं. : मगंसिविबी/बोम–14/2011/155

अतिरिक्त कार्यभत्ता भुगतान की स्वीकृति आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए पृथक से प्रकोष्ठ बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाफ, बजट, फर्नीचर आदि के प्रस्ताव मांगे जाने पर विश्वविद्यालय के पत्रांक 21066 दिनांक 09.12.2006 के द्वारा प्रस्ताव भेजे गये, परन्तु प्रकोष्ठ गठित करने हेतु स्टाफ तथा बजट आदि की स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित अनेकों प्रार्थना–पत्र प्रतिदिन प्राप्त होते हैं तथा निर्धारित समयावधि में इनका निस्तारण करने, माननीय कुलपति महोदय एवं राजस्थान सूचना आयोग में अपीलों तथा उच्च न्यायालय से पत्राचार आदि समस्त कार्य के संधारण हेतु स्टाफ की कमी के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति सम्भव नहीं होने के कारण विगत चार वर्षों से इस कार्य को प्रभावी ढ़ंग से अतिरिक्त समय में सफलता पूर्वक सम्पादित कर रहे से.नि.कर्मी श्री पी.एल. माथुर को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरांत विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 29363–72 दिनांक 31.01.2011 के द्वारा 2,000/– रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त कार्यभत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 31.01.2011 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 29363–72 दिनांक 31.01.2011 के द्वारा श्री पी.एल. माथुर, सेवानिवृत कर्मचारी को 2,000/– रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त कार्यभत्ता भुगतान की स्वीकृति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/156

विश्वविद्यालय में प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की वैश्विक पहचान स्थापित करने एवं समसामयिक विषय के विकास हेतु विश्वविद्यालय में दिनांक 19 से 21 दिसम्बर, 2011 तक "International Conference on Advances in Ecological Research" आयोजित की जानी प्रस्तावित है जिसमें देश–विदेश के लगभग 200 वैज्ञानिकों के भाग लेने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन में लगभग 13.50 लाख रू. व्यय होने की संभावना है, जिसमें से 2.00 लाख रू. की राशि विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की जाएगी तथा शेष राशि बाह्य स्त्रोतों यथा UGC, DST, ICAR, DOE व निजी संस्थानों/प्रायोजकों के माध्यम से जुटाई जाएगी। बाहर से आने वाले विशिष्ट वैज्ञानिकों/अधिकारियों/ अतिथियों को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति अनुसार वास्तविक यात्रा व्यय का भुगतान तथा उच्च श्रेणी आवासीय सुविधा प्रदान की जानी प्रस्तावित है। संगोष्ठी के आय–व्यय का लेखा संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल ने महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जाने वाली "International Conference on Advances in Ecological Research" के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/157(i)

राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू द्वारा सम्बद्धता विलम्ब शुल्क में छूट हेतु प्रस्तुत अनुरोध के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के अजमेर के अध्यादेश 51 (i) (जो इस विश्वविद्यालय में भी लागू है) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को सत्र 2010–11 के लिए सम्बद्धता शुल्क दिनांक 31.12.09 तक विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना आवश्यक है। राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू द्वारा सत्र 2010–11 के लिए एलएल.बी. पाठ्यक्रम का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क 60,000/– रू. के स्थान पर 50,000/– रू. डी.डी. नं. 752717 दिनांक 09.01.10 के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् जमा कराया गया है। इसी प्रकार एलएल.एम. पाठ्यक्रम का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क भी डी.डी. नं. 002604 दिनांक 05.05.10 के द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात जमा कराया गया है तथा पी.जी. डिप्लोमा इन फोरेन्सिक साइंस का सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क 50,000/– रू. विश्वविद्यालय में प्रेषित ही नहीं किया गया है। इस प्रकार देय सम्बद्धता शुल्क से कम राशि जमा कराने, विलम्ब से जमा कराने एवं सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराने के कारण महाविद्यालय द्वारा निम्नानुसार सम्बद्धता शुल्क (बकाया राशि एवं विलम्ब शुल्क) देय है :–

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	बकाया राशि	विलम्ब शुल्क	कुल राशि
1.	LL.B.	10,000	60,000	70,000
2.	LL.M.	-	60,000	60,000
3.	Diploma in Forensic Science	50,000	50,000	1,00,000
			कुल	2,30,000

उक्त राशि जमा कराने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 27032 दिनांक 04.01.11 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा महाविद्यालय को सूचित किया गया, किन्तु महाविद्यालय द्वारा एलएल.बी. पाठ्यक्रम का बकाया सम्बद्धता शुल्क राशि रू. 10,000/– ही विश्वविद्यालय कोष में जमा कराया गया। महाविद्यालय ने अपने पत्र क्रमांक 157 दिनांक 19.02.11 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राजकोष पर अतिरिक्त व्यय के कारण विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। पूर्व में प्रबन्ध मण्डल द्वारा राज. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर को देय सम्बद्धता शुल्क एक दिन विलम्ब से जमा कराने पर विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान की गई थी। इस महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा करवाने में विलम्ब की अवधि अधिक है यथा एलएल.बी. पाठ्यक्रम हेतु 9 दिन, एलएल.एम. पाठ्यक्रम हेतु 125 दिन एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का मूल सम्बद्धता शुल्क अभी भी प्रतीक्षित है। राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू को विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त प्रस्ताव को विचार विमर्श पश्चात् अस्वीकार किया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/157(ii)

विश्वविद्यालय में 93 (72+21) अशैक्षणिक पदों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की जानकारी :–

विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) अनुभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.20 (2) शिक्षा–4/2007 दिनांक 08.12.2010 के द्वारा विश्वविद्यालय में 93 (72+21) अशैक्षणिक पदों यथा उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सम्पदा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, कार्यालय सहायक, शोध निदेशक, स्टेनो ग्रेड– II, कम्प्यूटर डाटा ऑपरेटर, पुस्तकालयाध्यक्ष, मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियो के (72) पद तथा 5 शैक्षणिक अनुभागों में सहायतार्थ मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सहायक

कर्मचारियों के (21) पद स्वीकृत किए गए (छायाप्रति संलग्न) है। उक्त पदों पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय को स्वंय की आय से वहन करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति के अनुसरण में 14 अशैक्षणिक पदों यथा शोध निदेशक, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, अनुभाग अधिकारी, निजी सहायक, स्टेनो ग्रेड–II, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं वाहन चालक के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर दिनांक 01.03.2011 को विज्ञापन जारी कर आवेदन–पत्र प्राप्त किए गए (छायाप्रति संलग्न) हैं। शेष पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।
राज्य सरकार द्वारा अशैक्षणिक पदों के लिए प्रदत्त स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा स्वीकृत पदों की जानकारी नोट की गई।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/157(iii)

श्री अरविन्द कुमार व्यास, स्टोर सहायक एवं श्री रामकिशोर यादव, स्टेनों टाईपिस्ट की सेवाओं का विश्वविद्यालय में समायोजन हेतु प्रस्ताव :–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(7) शिक्षा–4/2003 दिनांक 14.05.2003 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार व्यास, स्टोर सहायक एवं श्री रामकिशोर यादव, स्टेनो टाईपिस्ट तिलम संघ, राजस्थान को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया। इस आदेष की अनुपालना में उक्त दोनों कर्मचारियों ने दिनांक 10.06.2003 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात् राज्य सरकार के पत्रांक प.14(7) शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक 30.09.2003 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा इन दोनों प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को विश्वविद्यालय में समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त दोनों कर्मचारियों की सेवाओं का विश्वविद्यालय में समायोजन के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.09.2006 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों कर्मचारी विश्वविद्यालय में उपलब्ध समकक्ष रिक्त पद पर यदि अपनी सहमति देते हैं तो इनके वर्तमान वेतन को संरक्षित रखते हुए रिक्त पद पर समायोजित कर लिया जावे। यदि उपरोक्तानुसार सहमति नहीं देते हैं तो पदों के अभाव में इनको मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावे। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय के सम्बन्धित अंश की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

श्री अरविन्द कुमार व्यास द्वारा धारित पद स्टोर सहायक (नियुक्ति के समय वेतन श्रृंखला 1400–2300 तथा छठे वेतनमान के अनुसार वेतन बैण्ड 9300–34800 + ग्रेड पे 3200/–) विश्वविद्यालय सेवा में 'कार्यालय सहायक' एवं श्री रामकिशोर यादव द्वारा धारित पद स्टेनो टाईपिस्ट (नियुक्ति के समय वेतन श्रृंखला 1200–2050 तथा छठे वेतनमान के अनुसार वेतन बैण्ड 5200–20200 + ग्रेड पे 2400/–) विश्वविद्यालय सेवा में 'वरिष्ठ लिपिक' पद के समकक्ष हैं। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की अनुपालना में उक्त दोनों कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में तत्समय उपलब्ध वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों के प्रतिकूल वेतन संरक्षित रखते हुए समायोजन के लिए लिखित सहमति/असहमति से अवगत कराने हेतु कहा गया। उक्त दोनों कर्मचारियों ने वरिष्ठ लिपिक के उपलब्ध पद पर समायोजन करने की सहमति प्रदान की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में तत्समय उपलब्ध वरिष्ठ लिपिक के पद महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से स्थानानतरण (Post with Person) द्वारा ही भरे जाने थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को इन पदों को स्थानान्तरित करने एवं राज्य सरकार को इन रिक्त पदों को भरने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निरन्तर निवेदन किया जाता रहा। अन्ततः राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(2) शिक्षा–4/2007 पार्ट दिनांक 07.04.2010 के द्वारा वरिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(2) शिक्षा–4/2007 दिनांक 08.12.2010 के द्वारा 93

(72+21) विभिन्न नवीन अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कार्यालय सहायक के 4 पद भी सम्मिलित हैं। अतः वर्तमान में दोनों प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के पदों के समकक्ष पद विश्वविद्यालय में उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति उपरान्त श्री अरविन्द कुमार व्यास, स्टोर सहायक ने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2011 प्रस्तुत कर स्वयं की सेवाएं "अनुभाग अधिकारी" के रिक्त पद पर समायोजित करने तथा श्री रामकिशोर यादव, स्टेनो टाईपिस्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2011 प्रस्तुत कर स्वयं की सेवाएं निजी सहायक के पद पर समायोजित करने का निवेदन किया है। उक्त दोनों पद (अनुभाग अधिकारी एवं निजी सहायक) इनके द्वारा धारित पदों से उच्च श्रेणी के हैं। उक्त दोनों प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

अतः प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 27.09.2006 के क्रम में श्री अरविन्द कुमार व्यास, स्टोर सहायक की सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध समकक्ष पद "कार्यालय सहायक" तथा श्री रामकिशोर यादव, स्टेनो टाईपिस्ट की सेवाएं "वरिष्ठ लिपिक" के पद पर समायोजित करने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि श्री अरविन्द कुमार व्यास ने दिनांक 11.03.11 को पुनः एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर इनके पैतृक विभाग द्वारा 01.01.2009 से पदोन्नति प्रदान करने का उल्लेख किया है तथा श्री आर.के.यादव ने भी पदोन्नति आदेश दिनांक 01.01.2009 की एक प्रति प्रस्तुत की है।यद्यपि इससे पूर्व न तो इनके पैतृक विभाग से कोई पदोन्नति आदेश विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए और न ही इन कर्मचारियों ने कभी विश्वविद्यालय को अवगत कराया। विचार विमर्श उपरांत प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करते समय धारित पद (पदोन्नति से पूर्व) पर समायोजन हेतु सहमति प्रदान करने के लिए दोनो कर्मचारियों को एक अवसर प्रदान किया जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने पर यथानुसार समायोजन कार्यवाही की जावे अन्यथा पैतृक विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जावे।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/157(iv)

वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सेवा नियम (जो इस विश्वविद्यालय में लागू हैं।) की अनुसूची III-A (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती का प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद	प्रतिशत सहित भर्ती का स्त्रोत		पद जिससे पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति की जानी है।	योग्यता
		पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा		
1.	वरिष्ठ लिपिक	66	34	कनिष्ठ लिपिक	स्नातक, 3 वर्ष कनिष्ठ लिपिक पद पर सेवा का अनुभव। स्नातक नहीं होने पर 6 वर्ष कनिष्ठ लिपिक पद पर सेवा का अनुभव।
2.	कनिष्ठ लिपिक	20	80	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष योग्यता तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा।

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 34999 दिनांक 10.03.2011 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक पद पर तथा कनिष्ठ लिपिक से

वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अनुसंशा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ लिपिक के कुल 6 पदों में से वर्ष 2004–05 से 4 पद रिक्त चल रहे हैं पदोन्नति हेतु 66% कोटा निर्धारित होने के कारण केवल 4 पद ही भरे जा सकते हैं जिनमें से 2 पद पहले से ही पदोन्नति द्वारा भरे हुए हैं। इस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के 2 पदों पर ही पदोन्नति हेतु विचार किया जा सका जबकि निर्धारित योग्यताधारी कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एवं अन्य विश्वविद्यालयों (यथा–जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर) में वरिष्ठ लिपिक के समस्त पद (100%) पदोन्नति के द्वारा भरे जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ लिपिक के 20% पद पदोन्नति से भरे जाने के प्रावधान के परिणामस्वरूप कनिष्ठ लिपिक पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध होने पर भी उक्त बाध्यता के कारण योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रह रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में कनिष्ठ लिपिक के 25% पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है।
अतः वरिष्ठ लिपिक के पद शत प्रतिशत से तथा कनिष्ठ लिपिक के 25% पद पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– विचार विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा वरिष्ठ लिपिक के शत प्रतिशत पद तथा कनिष्ठ लिपिक के 20% पद पदोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आईटम संख्या मगसिविबी/बोम–14/2011/157(v)

आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ–7(152)/यूओबी/एकेडमिक/2007/19105 दिनांक 29.11.07 के द्वारा सत्र 2007–08 में बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 सीटों के लिए आर्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, भादरा को अस्थाई नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई थी। उक्त महाविद्यालय का संचालन भादरा के स्थान पर भादरा से 25 कि.मी. दूर डाबडी गांव में होने की शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ–07( )/ मगंसिविबी/शैक्ष./2009/8678 दिनांक 18.11.09 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा महाविद्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा गया परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ–7(152)/मगंसिविबी/शैक्ष./2010/4101 दिनांक 31.07.10 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा संस्था सचिव को वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः लिखा गया। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्राचार्य ने अपने पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 14.08.2010 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत करवाया कि एन.सी.टी.ई., एन.आर.सी., जयपुर की पूर्व स्वीकृति से ही महाविद्यालय का संचालन डाबडी गांव में किया जा रहा है किन्तु पत्र के साथ स्वीकृति से सम्बन्धित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक एफ–07(152)/मगंसिविबी/शैक्ष./2010/5659–60 दिनांक 14.09.10 के द्वारा महाविद्यालय संचालन में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में महाविद्यालय से पुनः जानकारी चाही गई। साथ ही स्वीकृत स्थान से अन्यत्र महाविद्यालय स्थानान्तरित करने व अन्य अनियमितताओं की जांच हेतु विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ.07(152)/ मगंसिविबी/एकेडमिक/2010/5656 दिनांक 14.09.2010 द्वारा गठित समिति ने दिनांक 25–09–2010 को महाविद्यालय में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 14–09–2010 एवं जाँच समिति के पत्र दिनांक 25–09–2010 के प्रत्युत्तर में महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक PM5/ DABRIRPL.SVPC/PMS दिनांक 01–10–2010 भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत है जिसमें महाविद्यालय

ने अपने पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 6 असत्य एवं प्रत्यारोप लगाने की दृष्टि से लिखे। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक प.07(152)/ मगंसिविबी/शैक्ष./2011/36648 दिनांक 24.03.11 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर 15 दिवस में महाविद्यालय के कथनों से सम्बन्धित आदेश/नियम/स्वीकृति आदि की प्रमाणित प्रतियों के साथ जवाब प्रस्तुत करने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट कराने हेतु लिखा गया। महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक 11.04.2011 तक न तो पत्र द्वारा सूचित किया गया एवं न ही व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर स्थिति स्पष्ट की गई।

अतः महाविद्यालय प्रबन्धन द्वारा स्वीकृत स्थान से अन्यत्र महाविद्यालय संचालन के सम्बन्ध में सम्बद्धता निरस्ति हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर विश्वविद्यालय अध्यादेश 51 (4,5) के अनुसार महाविद्यालय को नोटिस जारी करने एवं स्वीकृत स्थान से अन्यत्र महाविद्यालय संचालित होने के क्रम में महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु डॉ. जी.एन. शर्मा, पूर्व प्राचार्य एवं श्री अनिल कौशिक, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति की रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत की जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य डॉ. सुरेश अग्रवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रुक्टा) की ओर से प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 13–04–2011 सदन के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षा कार्यो हेतु परीक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्वि करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का सुझाव दिया। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व OMR एवं हस्तलिखित अंकों के रैण्डमली मिलान तथा अन्य जाँच हेतु परीक्षा परिणाम समिति का गठन किये जाने का सुझाव प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उक्त सुझावों का परीक्षण करवाकर वांछित कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव